कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा करूणा सेन, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बॉस्याहेडी, सांगोद जिला कोटा का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटोली जिला झालावाड़ किया गया था जिसके विरूद्ध करूणा सैन द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 517/2021 करूणा सैन बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 517/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2021 द्वारा अपीलार्थी करूणा सैन को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 15 दिवस की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए 15 दिवस के भीतर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि खेडा रसूलपुर, कोटा/राउमावि ऑवा, सांगोद, कोटा/राउमावि किशोरपुरा, सुल्तानपुर, कोटा/राउमावि मोरपा, सुल्तानपुर, कोटा/राउमावि हिरियाखेडी, खैराबाद, कोटा अथवा राउमावि सुकैत, खैराबाद जिला कोटा में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती करूणा सैन, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य (राउमावि बॉस्याहेडी, सांगोद जिला कोटा से राउमावि घाटोली जिला झालावाड़) का समायोजन/पदस्थापन राउमावि मोरपा, सुल्तानपुर जिला कोटा किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/करूणा सैन/517/2021 दिनांकः 02/02/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा/झालावाड़।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक कोटा/झालावाड़।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. करूणा सैन, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि घाटोल जिला झालावाड़ को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)